(2013) 2 एस.सी.सी. 245

उड़ीसा राज्य व अन्य

बनाम

मैसर्स मेस्को स्टील्स लिमिटेड एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या-2206/2013)

6 मार्च, 2013

{टी.एस. ठाकुर और ज्ञान सुधा मिश्रा, जे.जे.}

भारत का संविधान, 1950;

अनुच्छेद 226 - रिट याचिका-लौह अयस्क के खनन के लिए पट्टा क्षेत्र के पुनः आवंटन पर विचार करने के प्रस्ताव वाले अंतर-विभागीय संचार को चुनौती देना-माना गयाः उच्च न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ने में गलती कर रहा था कि अंतिम निर्णय ले लिया गया था और जो अब नहीं था उसे रद्द करने में एक अंतर-विभागीय संचार की तुलना में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक बेहतर कदम है, उस दृष्टिकोण से रिट याचिका समय से पहले थी और इसे इस तरह से निपटाया जाना चाहिए था, खान और खनिज-लौह अयस्क।

अनुच्छेद 226 - रिट याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना, माना

गया: कारण बताओं नोटिस जारी करने से यथास्थिति में हस्तक्षेप नहीं हुआ, एक बार कारण बताओं नोटिस जारी होने के बाद उच्च न्यायालय प्रतिवादी को निर्देश दे सकता था-कम्पनी को इसका जवाब देना होगा और उचित उपाय का सहारा लेने की स्वतंत्रता रखते हुए रिट याचिका का निपटारा करना होगा, चूंकि कारण बताओं नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है, इसलिए सरकार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब पर विचार करेगी और एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगी।

अधिसूचित क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के जवाब में, प्रतिवादी-कम्पनी और अन्य ने आवेदन प्रस्तुत किए। यह आवश्यक था कि पट्टेदार दो इस्पात संयंत्र स्थापित करेगा और ऐसे इस्पात संयंत्रों की कैप्टिव आवश्यकता को पूरा करने के लिए पट्टा क्षेत्र से निकाले गए पूरे लौह अयस्क का उपयोग करेगा और इसके द्वारा खनन सामग्री की कोई वाणिज्यिक टै[a]किंग नहीं की जाएगी। अंततः दिनांक-17.03.2000 के पत्र द्वारा, राज्य सरकार ने प्रतिवादी-कंपनी के पक्ष में बी पट्टा देने की मंजूरी दे दी। हालांकि, जब यह बताया गया कि प्रतिवादी कम्पनी के पक्ष में प्रस्तावित पट्टे में कुछ क्षेत्र उड़ीसा माइनिंग काॅर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटन के लिए अनुशंसित क्षेत्र के साथ ओवरलैप हो रहा था और कुछ क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को आकर्षित करते हुए वन भूमि के अंतर्गत आता है। खनन निदेशक ने पत्र दिनांक-19.09.2006

द्वारा प्रतिवादी-कम्पनी द्वारा स्थापित मौजूदा इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता के आधार पर संसाधनों के पुनः आवंटन की सिफारिश की। आगे यह सिफारिश की गई कि प्रतिवादी-कम्पनी को उसके पक्ष में आवंटित किए जाने वाले क्षेत्र से हटाए गए लौह अयस्क में किसी भी व्यापारिक गतिविधि को चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस अंतर-विभागीय संचार को प्रतिवादी-कम्पनी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसने 01.02.2007 के आदेश द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। हालांकि, राज्य सरकार ने प्रतिवादी-कम्पनी को दिनांक-06.02.2007 को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा कि राज्य पीएसयू के 469.25 हेक्टेयर और प्रतिवादी-कम्पनी की कैप्टिव आवश्यकता से अधिक दी गई 921.258 हेक्टेयर के ओवरलैपिंग क्षेत्र में कटौती क्यों न की जाए। कुल खनन पट्टा क्षेत्र 1519.980 हेक्टेयर से। उच्च न्यायालय ने कारण बताओं नोटिस को नजरअंदाज कर दिया, दिनांक-19.09.2006 के पत्र को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को प्रतिवादी कम्पनी के पक्ष में एक औपचारिक खनन पट्टा निष्पादित करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार द्वारा दायर त्वरित अपील में, उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न थेः (1) क्या रिट याचिका दायर की गई थी। प्रतिवादी-कम्पनी समय से पहले थी, वहीं होने वाली थी ने एक अंतर-विभागीय संचार के खिलाफ दायर किया जो अंततः पार्टियों के किसी भी

अधिकार या दायित्व को निर्धारित नहीं करता ? (2) क्या कारण बताओ नोटिस की उच्च न्यायालय द्वारा केवल इसलिए नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि यह उसके द्वारा पारित अंतरिम आदेश के उल्लंघन में जारी किया गया था, जिसमें पार्टियों को यथास्थिति बनाए रखने की आवश्यकता थी? (3) क्या कारण बताओं नोटिस क्षेत्राधिकार के बिना था और इसलिए रद्द किया जा सकता है?

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

प्रश्न संख्या-01

दिनांक-12.01.2006 के पत्र और उसके जवाब में खान निदेशक द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक-19.09.2006 को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इस विषय पर सरकार द्वारा अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को आंशिक या पूर्ण रूप से फिर से शुरू करने का अनंतिम निर्णय लेने के बाद ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता था। ममाले को किसी भी विवाद से परे रखने के लिए, राज्य सरकार की ओर से बार में एक स्पष्ट बयान दिया गया है कि लीज क्षेत्र के किसी भी हिस्से को फिर से शुरू करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और वह सब आज तक जो हुआ उसे आवश्यक रूप से अनंतिम माना जाना चाहिए। ऐसा मामला होने पर, उच्च न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ने में गलती कर रहा था कि

अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे अच्छा कदम था। सरकार। उस दृष्टि से रिट याचिका समय से पहले थी और इसे उसी रूप में निपटाया जाना चाहिए था। पेरा 15, ख्258-बी, ई-एच, 259-ए,

प्रश्न संख्या-02

यह सच है कि उच्च न्यायालय ने एक वार्ताकार के माध्यम से ऐसा किया था। आदेश ने पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने से यथास्थिति में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। इसने प्रतिवादी-कंपनी को प्रस्तावित कार्रवाई का जवाब देने में सक्षम बनाया। हालांकि, एक बार कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद, उच्च न्यायालय प्रतिवादी-कम्पनी को इसका जवाब देने का निर्देश दे सकता था और रिट याचिका का निपटारा कर सकता था और उसे ऐसे उपाय का सहारा लेने की स्वतंत्रता दे सकता था जो उसके द्वारा उपयुक्त माना गया हो। अंतिम आदेश पर निर्भर करता है कि सरकार ने उक्त नोटिस पारित कर दिया। प्रतिवादी-कम्पनी ने क्षेत्राधिकार के आधार पर या अन्यथा कारण बताओ नोटिस की वैधता पर सवाल नहीं उठाया था। उच्च न्यायालय नोटिस को आसनी से नजरअंदाज नहीं कर सकता, भले ही यह उसके द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन में जारी किया गया हो। उच्च न्यायालय कारण बताओ नोटिस को पार्टियों को एक ऐसी प्रक्रिया में वापस लाने के लिए एक कारण के रूप में ले सकता था जो उचित और निष्पक्ष

थी और जिसमें प्रतिवादी अपने सभी तर्कों का आग्रह कर सकता था, चाहे वह तथ्यों पर हो या कानून पर।

प्रश्न संख्या-03

जब तक कारण बताओ नोटिस क्षेत्राधिकार के बिना नहीं है क्योंकि वास्तव में ऐसा प्रतीत नहीं होता है, यह सवाल कि क्या इसमें लिए गए आधार प्रस्तावित कार्रवाई के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करते हैं, सरकार के निर्णय के लिए खुला छोड़ा जा सकता है, सरकार उस उत्तर पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी जो प्रतिवादी उक्त कारण बताओ नोटिस पर प्रस्तुत कर सकता है और विषय पर एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।

टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम् गोदावर्मन भारत संघ एवं भारत संघ व अन्य 1996 (9) पूरक एससीआर 982 त्र (1997) 2 एससीसी 267 उद्धृत

केस कानून संदर्भ:

1996 (9) पूरक एससीआर 982 पैरा 12

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2206/2013

उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक-16.05.2008 से पश्चिम बंगाल में कटक में उड़ीसा का न्यायालय की रिट पिटीशन नम्बर-14044/2006

यू.यू. ललित, कीर्ति रेनू मिश्रा, शिबाशीष मिश्रा अपीलार्थी।

राकेश द्विवेदी, संजीत मोहंती, नवीन कुमार, निखिल शर्मा, प्रीतिका द्विवेदी, आर.के. राठौड़, शेलेन्द्र सैनी, ए. देव कुमार, डी.एस. माहरा प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय टी.एस. ठाकुर, जे. सुनाया गया

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा 16 मई, 2008 को पारित एक फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत प्रविवादी कम्पनी द्वारा दायर की रिट याचिका संख्या 14044/2006 को अनुमति दी गई है, जो एक अंतरविभागीय संचार है। खान निदेशक द्वारा उड़ीसा सरकार के संयुक्त सचिव को संबोधित दिनांक 19 सितंबर, 2006 के पत्र को रद्द कर दिया गया और परमादेश रिट द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवादी-कम्पनी के पक्ष में 1519.980 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए खनन पट्टा निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

3. अधिसूचना संख्या-647/91 दिनांक 23 अगस्त, 1991 द्वारा उड़ीसा सरकार ने राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों में स्थित पांच ब्लाॅकों में 282.46 वर्ग मील में फैले लौह/मैंगनीज अयस्क क्षेत्रों को अनारक्षित कर दिया और उन्हें खुला छोड़ दिया। उक्त ब्लाॅकों के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे देने के लिए खनिज रियायत नियम, 1960 के

नियम 59 के संदर्भ में इच्छुक निजी पार्टियों के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कवायद का उद्देश्य राज्य के खनिज भंडार का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करके और इस प्रक्रिया में राज्य के दो जिलों में रहने वाली मुख्य रूप से आदिवासी आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। पट्टों के लिए आवेदन करने और इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निमंत्रण सभी प्रमुख इस्पात निर्माताओं के लिए खुला था।

4. विज्ञापन नोटिस के जवाब में विभिन्न पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें प्रतिवादी मेस्को स्टील्स लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन भी शामिल था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन आवेदनों का मूल्यांकन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी कम्पनी के पक्ष में एक सशर्त सिफारिश की गई है। राज्य सरकार ने खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27(3) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो शर्तें लगाईं उनमें से एक में यह आवश्यक था कि पट्टेदार को उचित समय के भीतर दो पूर्ण इस्पात संयंत्र स्थापित करने होंगे। प्रस्तावित खनन पट्टे के अनुदान के लिए नियम और शर्तें जारी करते समय। दूसरी शर्त यह है कि पट्टेदार डुबुरी और जखापुरा में स्थापित होने वाले स्टील प्लांटों की कैप्टिव आवश्यकता को पूरा करने के लिए पट्टा क्षेत्र से निकाले गए पूरे लौह अयस्क का उपयोग करेगा और खनन सामग्री का कोई वाणिज्यिक व्यापार नहीं किया जाएगा।

5. 7 जनवरी, 1999 के एक आदेश द्वारा भारत सरकार, इस्पात और खान मंत्रालय, खान विभाग ने 1011.480 हेक्टेयर क्षेत्र से लौह अयस्क के निष्कर्षण के लिए खनन पट्टा देने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी। कडाकला और लुहाकला गांवों के अलावा क्योंझर जिले के सुंदरा और पिदापोखरी गांवों में 508.500 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 वर्षों की अवधि के लिए। अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों और 27 जनवरी की अधिसूचना के अलावा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के अधीन था, 1994 तत्संबंधी संदर्भ में जारी किया गया।

6. केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार ने प्रतिवादी-कंपनी को उन नियमों और शर्तों से अवगत कराया, जिनके अधीन उसने उपर उल्लिखित क्षेत्र से लौह अयस्क के खनन के लिए खनन पट्टा देने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें 377.690 हेक्टेयर जंगल शमिल था। क्योंझर जिले के सुंदरा और पिदापोखरी गांवों में भूमि। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी-कंपनी को 8 फरवरी, 1999 को जारी एक पत्र में उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया गया था जो प्रस्तावित खनन पट्टे को नियंत्रित करेंगे और प्रतिवादी-कंपनी को इसके लिए अपनी स्वीकृति व्यक्त करने की आवश्कयता होगी। जवाब में प्रतिवादी कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 15 फरवरी, 1999 द्वारा पहले उल्लेखित पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों

को बिना शर्त स्वीकार करने से अवगत कराया। स्वीकृति पत्र के बाद 13 मार्च, 1999 को एक और पत्र आया, जिसके द्वारा प्रतिवादी कंपनी ने राज्य सरकार को सूचित किया कि उसने खान योजना की तैयार के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं और इसके लिए आरक्षण प्रस्ताव की तैयारी और अनुमोदन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सुंदरा और पिदापोखरी गांव में 508.500 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टे को वन भूमि बताया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिवादी कंपनी ने यह भी बताया कि वह कलिंगा नगर, औद्योगिक परिसर, सुकिंदा, पीओ दानागाडी, जिला जाजपुर, उड़ीसा में अपने स्टील प्लांट के पूरा होने के कगार पर थी, जिसके अप्रैल/मई तक चालू होने की उम्मीद थी। 1999 राज्य सरकार ने अंततः अपने आदेश दिनांक 17 मार्च, 1999 के संदर्भ में पहले बताई गई सीमा तक प्रतिवादी कंपनी के पक्ष में पट्टा देने की मंजूरी दे दी।

7. प्रतिवादी कंपनी को संबोधित दिनांक 19 जून, 2000 के एक पत्र द्वारा राज्य सरकार ने बताया कि कंपनी आवश्यक खनन योजना प्रस्तुत करने और इस संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही है। 11 अक्टूबर, 1999 के अपने पत्र के अनुसार सरकार द्वारा प्रतिवादी कंपनी को दिए गए समय के विस्तार के बावजूद प्रस्तावित खनन पट्टे में शामिल वन भमि। राज्य सरकार ने आगे बताया कि इस मामले में कंपनी की निष्क्रियता के कारण प्रस्तावित दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए, आईडीसीओ ने प्रस्तावित इस्पात

संयंत्र, कैप्टिव पावर प्लांट और प्रतिवादी कंपनी की सहयोगी कंपनी मेस्को कलिंगा स्टील प्लांट के पक्ष में आवंटित 3100 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की थी। बस्ती, उस पृष्ठभूमि में पत्र ने प्रतिवादी कंपनी को खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 26(1) के संदर्भ में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आमंत्रित किया ताकि यह चर्चा की जा सके कि क्या प्रतिवादी कंपनी को पहले से मौजूद इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता है। कंपनी को उक्त संयंत्र के लिए आवश्यक लौह अयस्क भंडार को बनाए रखने और शेष को सरकार को वापस लौटाने में सक्षम बनाने के लिए मूल्यांकन किया जा सकता है।

8. प्रतिवादी कंपनी ने उपर्युक्त पत्र की प्राप्ति स्वीकार की और अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि पूरे क्षेत्र के लिए खनन योजना तैयार की गई थी और 31 जनवरी, 2000 को अलग से प्रस्तुत की गई थी। यह भी बताया गया कि कुल में से प्रस्तावित पट्टे द्वारा कवर की गई सीमा केवल 508.500 हेक्टेयर वन भूम थी, जिसके लिए अकेले डायवर्सन प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक था। इसमें कंपनी द्वारा उठाए गए कुछ अन्य कदमों का भी उल्लेख किया गया है जैसे कि क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन जो चल रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी ने कहा कि वह पहले ही रुपए का निवेश कर चुकी है। परियोजना में 57.12 करोड़ रुपए थे, लेकिन इस्पात बाजार के मंदी के दौर से गुजरने के कारण इसे रोकना पडा, क्योंकि बाजार में बहुतायत के कारण सभी इस्पात बड़ी कंपनियों को

समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। प्रतिवादी कंपनी ने एक कनाडाई कंपनी की वित्तीय भागीदारी सहित खदान के विकास के लिए पर्याप्त कार्य करने का दावा किया और सरकार को आश्वासन दिया कि प्रस्तावित परियोजना उड़ीसा के लोगों के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगी।

9. उसके बाद लगभग चार वर्षों तक यह मामला सरकार के विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर अंतिम निर्णय के लिए लंबित रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 मई, 2004 को पत्र द्वारा उड़ीसा के खान निदेशक ने अन्य बातों के साथ-साथ उड़ीसा सरकार के इस्पात और खान विभाग के संयुक्त सचिव को लिखा था, जिसमें बताया गया था कि 469.25 हेक्टेयर का क्षेत्र इसमें शामिल है। प्रतिवादी कंपनी के पक्ष में प्रस्तावित पट्टा उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को आवंटन के लिए अनुशंसित क्षेत्र के साथ ओवरलैप हो रहा था और भले ही सरकार ने निदेशक के पत्र दिनांक 01 जून, 2000 के संदर्भ में उक्त ओवरलैपिंग क्षेत्र को खत्म करने के लिए कदम उठाया था। इस मामले में कोई औपचारिक सरकारी आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। निदेशक ने आगे बताया कि डीएफओ, क्योंझर ने अपने पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2004 और 7 फरवरी, 2004 के संदर्भ में बताया था कि सर्वेक्षण और सीमांकित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा खंडधार डीपीएफ के अंतर्गत आता है और इसके अनुसार वन भूमि होने की सूचना दी गई थी। डीएलसी रिपोर्ट के कालम 7 में इस आशय का एक हलफनामा भी राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। यह भी उल्लेख

किया गया था कि खनन अधिकारी ने रिपोर्ट दी थी कि 802.6678 हेक्टेयर के सर्वेक्षण और सीमांकित क्षेत्र में से 692.6953 हेक्टेयर क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आता है जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को आकर्षित करता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय मंजूरी, इसलिए, उक्त क्षेत्र के संबंध में किसी भी खनन पट्टे के निष्पादन के लिए भारत सरकार की नियुक्ति नितांत आवश्यक थी और जब तक यह आवश्यक पूर्व शर्त पूरी नही हो जाती, जब तक पट्टा विलेख का निष्पादन कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं था। 19 सितंबर, 2006 को एक अन्य पत्र द्वारा खान निदेशक ने प्रतिवादी कंपनी द्वारा स्थापित मौजूदा इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता के आधार पर संसाधनों के पुनः आवंटन की सिफारिश की। आगे यह सिफारिश की गई कि प्रतिवादी कंपनी को मौजूदा इकाई के लिए उकसी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर इसके पक्ष में आवंटित किए जाने वाले क्षेत्र से निकाले गए लौह अयस्क में किसी भी व्यापारिक गतिविधि को चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

10. उक्त अंतर विभागीय संचार से व्यथित होकर प्रतिवादी कंपनी ने कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय के समक्ष की रिट याचिका संख्या 14044/2006 दायर की, जिसमें कंपनी ने खान निदेशक द्वारा की गई सिफारिश को कम करने के प्रस्ताव को रद्द करने की प्रार्थना की। प्रतिवादी कंपनी को पट्टा क्षेत्र प्रदान किया गया और राज्य सरकार को पहले उल्लिखित गावों में संपूर्ण 1519.980 हेक्टेयर भूमि के संबंध में खनन

पट्टा निष्पादित करने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश के लिए प्रार्थना की। 1 फरवरी, 2007 को एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। हालांकि, उक्त आदेश के बावजूद, उड़ीसा सरकार ने 6 फरवरी, 2007 को एक नोटिस जारी किया, जिसके द्वारा उसने प्रतिवादी कंपनी को यह बताने के लिए बुलाया कि राज्य पीएसयू के 469.25 हेक्टेयर और 921.258 हेक्टेयर के ओवरलैपिंग क्षेत्र को क्यों मंजूरी दी गई है। प्रतिवादी कंपनी द्वारा स्थापित इकाई की कैप्टिव आवश्यकता से अधिक राशि को कंपनी को दिए गए खनन पट्टा क्षेत्र 1519.980 से नहीं काटा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इस आधार पर कारण बताओ नोटिस को नजरअंदाज कर दिया कि यह अंतरिम आदेश के तहत जारी किया गया था जिसके द्वारा पार्टियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया थ, और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खनन में प्रस्तावित कमी पट्टा क्षेत्र, चाहे उड़ीसा खनन निगम के लिए अनुमोदित क्षेत्र के साथ क्षेत्रों के कथिन ओवरलैपिंग के कारण हो या प्रतिवादी कम्पनी और उसकी सहयोगी कंपनी द्वारा दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने में विफलता के कारण, उचित नहीं था। उच्च न्यायालय ने माना कि हालांकि राज्य सरकार ने क्षेत्र की कटौती के संबंध में अब तक कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम निर्णय ले लिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि इस तरह के फैसले के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

निर्णय महज औपचारिकता था। उस निष्कर्ष पर पहुंचने में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 8 पर भरोसा किया। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि प्रतिवादी कम्पनी के पक्ष में खनन पट्टे के अभाव में, वह स्टील प्लांट स्थापित करने का जोखिम नहीं ले सकती। तदनुसार उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर, 2006 के पत्र को रद्द कर दिया और परमादेश द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवादी कंपनी के पक्ष में एक औपचारिक खनन पट्टा निष्पादित करने का निर्देश दिया। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की सत्यता पर सवाल उठाती है।

11. अपीलकर्ता की ओर उपस्थित होते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यूयू ललित ने हमारे समक्ष तीन बार निवेदन किया। सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा दायर की गई रिट याचिका स्पष्ट रूप से समय से पहले थी क्योंकि सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया था जिसे प्रतिवादी कंपनी द्वारा चुनौती दी जा सकती थी और न ही विद्वान वकील के अनुसार रिट याचिका इसके खिलाफ सुनवाई योग्य थी। 19 सितंबर, 2006 का एक मात्र अंतर विभागीय पत्र, जिसने पार्टियों के किसी भी अधिकार या दायित्व को अंतिम रूप से तय नहीं किया, ताकि प्रतिवादी को असाधारण रिट क्षेत्राधिकार में इसे चुनौती देने के लिए कार्यवाही का कारण प्रस्तुत किया जा सके। दूसरे, यह तर्क दिया गया कि भले ही पत्र को पट्टा क्षेत्र में कमी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिए गए अंतिम

निर्णय के रूप में वर्णित किया जा सकता है, प्रतिवादी कंपनी को पहले अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्यवाही का सहारा लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय में जाने की बताया। तीसरा, यह तर्क दिया गया कि पहले से स्थापित संयंत्र के संदर्भ में वास्तविक आवश्यकता के आकलन के बाद पट्टा क्षेत्र में कमी का सुझाव देने वाली प्रतिवादी कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का मतलब यह था कि सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया था। मामले में और यह कि प्रतिवादी कंपनी कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में जो कुछ भी कहना चाहती है वह कह सकती है, जहां सरकार उस पर अंतिम आदेश अधिसूचित कर सकती है, जिसके बाद प्रतिवादी द्वारा उस आदेश की चुनौती दी जा कसती है कंपनी या तो केंद्र सरकार के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में, यदि अन्यथा अनुमति हो। चूंकि, उच्च न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस को नजरअंदाज कर दिया और इस धारणा पर आगे बढ़ा कि यह व्यर्थ की कवायद थी, यह एक गंभीर त्रुटि थी, श्री ललित ने तर्क दिया। विद्वान वकील के अनुसार उचित कदम यह था कि सरकार को प्रतिवादी कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद कारण बताओ नोटिस पर अंतिम निर्णय लेने की अनुमति दी जाए।

12. प्रतिवादी कंपनी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी यह तर्क दिया गया कि यद्यपि अपीलकर्ता-राज्य द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही में विशेष रूप

से चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन इस न्यायालय में नोटिस पर गौर कर सकता है और जांच कर सकता है कि क्या इसे कानूनी रूप से मान्य आधारों और समग्रियों पर वैध रूप से जारी किया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि यद्यपि राज्य सरकार असाधारण स्थितियों में अपनी सिफारिशों को वापस लेने में समक्ष हो सकता है, लेकिन वापस बुलाने की शक्तियों का ऐसा कोई भी प्रयोग कभी भी मनमाने ढंग से या मनमर्जी से नहीं किया जा सकता है। किसी भी दर पर, विद्वान वकील के अनुसार, वापस बुलाने की शक्ति का प्रयोग इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूरी तरह से अनुचित था क्योंकि सरकार का पूरा प्रयास प्रतिवादी कंपनी को किसी तरह से लाभ से वंचित करना प्रतीत होता था। इसके पक्ष में खनन पट्टा पहले ही स्वीकृत हो चुका है। यह भी तर्क दिया गया कि क्षेत्र के ओवरलैपिंग के प्रश्न की राज्य सरकार द्वारा जांच की गई और खारिज कर दिया गया, जैसा कि 29 अक्टूबर, 2001 को मुख्यमंत्री के कार्यालय में आयोजित बैठक के कार्यतृत्त से स्पष्ट था, जिसकी एक प्रति उपलब्ध है, अनुबंध आर-1 के रूप में रिकार्ड पर रखा गया है। यह भी तर्क दिया गया कि राज्य सरकार दूसरे स्टील प्लांट की स्थापना के संबंध में बहुत अधिक हंगामा कर रही है और यह प्रतिवादी कंपनी को जारी मंजूरी आदेश के तहत उसका हक देने से इनकार करने के बहाने से ज्यादा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य द्वारा दिया गया अनुदान। श्री द्विवेदी द्वारा यह तर्क दिया गया कि अनुमोदित खनन योजना की आवश्यकता, जो कि पट्टा देने की शर्तों में से एक थी

का पहले ही अनुपालन किया जा चुका है, जबकि पट्टा विलेख का निष्पादन परियोजना की मंजूरी के अधीन किया जा सकता है और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रदान करना। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उस सीमा तक संशोधित किया जा सकता है, जो न केवल उपरोक्त अधिनियम के तहत आवश्यक थी, बल्कि टीएन गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम् भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कारण भी आवश्यक थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने गलती की है, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूरे आदेश को रद्द करना उचित नहीं था।

13. हमने बार में की गई दलीलों पर उत्सुकतापूर्वक विचार किया है। हमारी राय में, निम्नलिखित प्रश्न निर्धारण के लिए उठते हैं:

(1) क्या प्रतिवादी कंपनी द्वारा दायर की गई रिट याचिका समय से पहले थी, यह एक अंतर विभागीय संचार के खिलाफ दायर की गई थी जो अंततः पार्टियों के किसी भी अधिकार या दायित्व को निर्धारित नहीं करती थी?

(2) क्या कारण बताओ नोटिस को उच्च न्यायालय द्वारा केवल इसलिए नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि यह उकसे द्वारा पारित अंतरिम आदेश के उल्लंघन में जारी

किया गया था, जिसमें पार्टियों को यथास्थिति बनाए खने की आवश्यकता था ?

(3) क्या कारण बताओ नोटिस क्षेत्राधिकार के बिना था और इसलिए रद्द किया जा सकता है?

14. हम सिलसिलेवार ढंग से प्रश्नों से निपटने का प्रस्ताव रखते हैं।

प्रश्न क्रमांक -1 के संबंध में

15. रिट याचिका, जैसा कि पहले ही उपर देखा जा चुका है, एक संचार के खिलाफ निर्देशित की गई थी जो खान निदेशक के कार्यालय से निकली थी और इस सवाल से संबंधित कुछ तथ्यात्मक पहलुओं को सामने लाया था कि क्या प्रतिवादी के पक्ष में पट्टा विलेख तुरंत निष्पादित किया जा सकता है-कंपनी। उक्त संचार को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि यह संयुक्त सचिव, उड़ीसा सरकार के खान निदेशक को दिनांक 12 जनवरी, 2006 के एक पत्र और 29 अगस्त, 2006 के एक अन्य पत्र के अनुसरण में जारी किया गया था। पूर्व पत्र के अनुसार सरकार के संयुक्त सचिव ने खान निदेशक को उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा जारी कुछ निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इसमें प्रतिवादी कंपनी की आवश्यकता का वास्तविक आकलन करना और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजरी के अधीन लीज डीड के निष्पादन की अनुमति देना

शामिल था। खान निदेशक को जारी किए गए निर्देशों में उन्हें अन्य योग्य पक्षों को पुनः आवंटन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र को फिर से शुरू करने की भी आवश्यकता है। खान निदेशक ने उक्त संचार का जवाब दिया था और मानचित्रों और सर्वेक्षणों के संदर्भ में क्षेत्र में खनिज भंडार का आकलन किया था और राज्य सरकार को एक सिफारिश की थी। 12 जनवरी, 2006 के पत्र और उसके जवाब में खान निदेशक द्वारा 19 सितंबर, 2006 को भेजे गए पत्र को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इस विषय पर सरकार द्वारा अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, चाहे सरकार कोई भी हो स्टील और खान विभाग के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर के तहत जारी 12 जनवरी, 2006 के अपनु संचार में बताई गई कार्रवाई की दिशा का पालन करने का अनंतिम रूप से निर्णय लिया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि 12 जनवरी, 2006 के संचार को उच्च न्यायालय के समक्ष कोई चुनौती नहीं दी गई थी और न ही हमारे सामने कोई ऐसी सामग्री रखी गई थी, जिससे यह पता चले कि कभी कोई अंतिम निर्णय लिया गया था। ताकि प्रतिवादी कम्पनी को सुनने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया व्यर्थ हो जाये। इसके विपरीत कारण बताओ नोटिस का मुद्दा उन कारणों को बताता है जिसने सरकार को प्रतिवादी कम्पनी से प्रस्तावित पट्टा क्षेत्र के एक हिस्से को फिर से शुरू करने का दावा करने के लिए मंजबूर किया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलाता है कि पूरी प्रक्रिया कारण बताओ मुद्दे की ओर ले जाती है, नोटिस अस्थाई था

और इस विषय पर किसी भी स्थान पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को आंसिक या पूर्ण रूप से फिर से शुरू करने का अंतिम निर्णय लेने के बाद ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता था। मामले को किसी भी विवाद से परे रखने के लिए श्री ललित ने राज्य सरकार की ओर से बार में एक स्पष्ट बयान दिया कि पट्टा क्षेत्र के किसी भी हिस्से को फिर से शुरू करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया औ और सभी आज तक जो कुछ गठित हुआ है उसे आवश्यक रूप से अंतिम माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ने में गलती कर रहा था कि अंतिम निर्णय ले लिया गया था और जो एक अन्तरविभागिय संचार से अधिक कुछ नहीं था, उसे रद्द करने में अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे अच्छा कदम था। उस दृष्टि रिट याचिका समय से पहले थी और इसे उसी रूप में निपटाना चाहिए था। प्रश्न संख्या-1 पर हमारा उत्तर तद्नुसार सकारात्मक है।

प्रश्न क्रमांक-2 के सम्बन्ध में

उपरोक्त पृष्ठ संख्या-1 पर जो निर्णय लेते समय हमने जो कहा है उसके आलोक में यह प्रश्न हमें अधिक समय तक रोके नहीं रखना चाहिए। यह सच है कि उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश द्वारा पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया था, लेकिन क्या उक्त आदेश का

राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने से रोकने का प्रभाव था। यह बहस का विषय है। कारण बताओ नोटिस जारी करने से यथास्थिति पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। इसने प्रतिवादी कम्पनी को प्रस्तावित कार्यवाही का जवाब देते हुए सक्षम बनाया, जैसा भी हो एक बार कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद, उच्च न्यायालय प्रतिवादी कंपनी को इसका जवाब देने का निर्देश दे सकता था और रिट याचिका निपटारा कर सकता था और उसे ऐसे उपाय का सहारा लेने की स्वतंत्रता दे सकता था, जैसा कि विचार किया गया है। सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेश की पालना में महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रतिवादी कंपनी ने क्षेत्राधिकार के आधार पर या अन्यथा कारण बताओ नोटिस की वैधता पर सवाल नहीं उठाया था। यदि कारण बताओ नोटिस की वैधता स्वयं इस आधार पर सवालों के घेरे में है कि सरकार के पास इसे जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो कम्पनी को रिट याचिका दायर करने और उस आधार पर नोटिस को चुनौती देने से कोई नहीं रोक सकता। उस स्थिति में उच्च न्यायालय को नोटिस की वैधता की जांच करने का अवसर मिलता। ऐसी किसी चुनौती के अभाव में उच्च न्यायालय नोटिस को आसानी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। भले ही वह न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन में जारी किया गया हो। सरकार द्वारा जारी किये गये नोटिस के अनुसार आगे कदम उठाने से रोकना एक बात थी, लेकिन नोटिस को कानून की नजर में गैर मान्य मानना पूरी तरह से अलग बात थी। उच्च

न्यायालय कारण बताओ नोटिस को पक्षों को एक ऐसी प्रक्रिया में धकेलने के कारण के रूप में ले सकता था, जो उचित और निष्पक्ष थी और जिसमें प्रतिवादी अपने सभी विवादो पर जोर दे सकता था, चाहे वह तथ्यों पर हो या कानून पर, इसलिए प्रश्न संख्या-2 का उत्तर हमारी ओर से नकारात्मक है।

प्रश्न क्रमांक-3 के सम्बन्ध में

17. यद्यपि अब हमारे लिए कारण बताओ नोटिस की वैधता के प्रश्न की जांच करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी कम्पनी द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष इस स्तर पर सवाल नहीं उठाया गया था, हम श्रीमान को श्रेय दे सकते हैं प्रतिवादी कम्पनी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्विवेदी ने उल्लेख किया कि उन्होंने अधिकार क्षेत्र के आधार पर नोटिस की वैधता को गम्भीरता से चुनौती नहीं दी। श्री द्विवेदी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि राज्य सरकार उचित परिस्थितियों में अपनी सिफारिशों को वापस लेने या संशोधित करने के विकल्प का प्रयोग कर सकती है, लेकिन तर्क दिया कि वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति नहीं है, जो इस तरह की सिफारिशों को वापिस लेने का औचित्य साबित कर सके।

18. हम कारण बताओ नोटिस के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करने या कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। जब तक नोटिस क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं है, क्योंकि वास्तव में ऐसा प्रतीत नहीं होता है,

तब तक यह प्रश्न कि क्या इसमें लिए गए आधार प्रस्तावित कार्रवाई के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करते हैं, सरकार के निर्णय के लिए खुला रखा जा सकता है। हमें बस इतना कहना है कि पक्षों के विद्वान वकील ने अपने-अपने दृष्टिकोण से और अपने-अपने संस्करणों के समर्थन में नोटिस में दिए गए आधारों और उसकी वैधता के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। इनमें से कुछ आधार और प्रस्तुतियां काफी आकर्षक भी थीं। लेकिन जब तक मामले की राज्य सरकार द्वारा जांच की जानी है, हम मुद्दों पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होना या दोनों पक्षों की ओर से उक्त तर्कों के गुण-दोष के बारे में कोई राय व्यक्त करना अनावश्यक मानते हैं। हमारी राय में, उचित कदम यह होगा कि पार्टियों के लिए उपलब्ध विवादों को सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए खुला छोड़ दिया जाए, जो हमारी राय में, उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तर पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए अच्छा होगा। कारण बताओ नोटिस और विषय पर तर्कसंगत आदेश पारित करें। प्रश्न संख्या-3 का उत्तर तद्नुसार दिया गया है।

19. परिणामस्वरूप हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी कंपनी राज्य सरकार द्वारा 6 फरवरी, 2007 को जारी कारण बताओ नोटिस पर तीन के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करेगी। आज से महीनों बाद सरकार इस प्रकार प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के बाद

प्रतिवादी को सूचित करते हुए दो महीने के भीतर इस विषय पर एक तर्कसंगत आदेश पारित कर सकती है। यदि इस प्रकार दिया गया आदेश किसी भी कारण से प्रतिवादी कंपनी द्वारा अस्वीकार्य पाया जाता है, तो उसे कानून के अनुसार उचित मंच के समक्ष उचित कार्यवाही का सहारा लेने की स्वतंत्रता होगी।

भवदीय

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी धूकल राम कसवाँ अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम 09,जयपुर महानगर-द्वितीय द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।